न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 54/2017/(2017/00098) जिला–नागौर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कुचामनसिटी जिला नागौर

———अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती वसुधा देवी पत्नी बद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण मृतक जरिये वारिसानः–
   1/1 राखी शर्मा पुत्री श्रीमती वसुधा देवी
   1/2 राजेश शर्मा पुत्र श्रीमती वसुधा देवी
   1/3 वीणा शर्मा पुत्री श्रीमती वसुधा देवी
   1/4 रितु शर्मा पुत्री श्रीमती वसुधा देवी
   1/5 शिवानी शर्मा पुत्री वसुधा देवी
2. मोहन प्रसाद पुत्र दूलाराम जाट
3. गजेन्द्र पुत्र भंवरलाल
4. मनभरी पत्नी स्व0 श्री भंवरलाल
5. प्रतापराम
6. छगनाराम पुत्र श्री धूडाराम
   उक्त सभी की जाति मेघवंशी
7. सुवटी देवी पत्नी बोदूलाल
8. राजकुमार पुत्र श्री बोदूलाल उक्त दोनों जाति ब्राहम्ण उक्त सभी निवासीगण ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी दिनांक 09–01–2017
प्रार्थना पत्र संख्या 29/2015 बउनवान वसुधा व अन्य बनाम सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री गोविन्द शर्मा प्रत्यर्थी संख्या 1/1,2,3,7,8

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:02:11 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांकः– 30.03.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 8 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के समक्ष प्रस्तुत कर ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 96, 101, 107 114 की किस्म गै0मु0नदी/नाला की भूमि को बारानी द्वितीय करने के आदेश प्रदान कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को उक्त आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20–4–2017 को न्यायालय में उक्त प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी एवं राज्यहित होने पर प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 9–1–2017 की जानकारी दिनांक 24–4–2017 को हुई। दिनांक 24–4–2017 से आज दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा चलाये गये रास्ता अभियान एवं न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में कर्तव्य निर्वहन में व्यस्त रहने के कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी दिनांक से अपील आज प्रस्तुत करने की अवधि में राजकार्यवश व्यस्त रहने से उक्त अवधि को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के राजकीय अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी द्वारा किये गये आदेश की पूर्ण जानकारी थी। उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी ने तहसीलदार, कुचामनसिटी को राजस्व नक्शें एवं रेकार्ड में आदेशानुसार आवश्यक शुद्ध प्रविष्टि दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील बिना किसी ठोस व सक्षम आधार के प्रस्तुत की गई है, इस कारण से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को स्वी[illegible]त प्रार्थना पत्र के साथ ही मूल अपील को वर्तमान स्तर पर ही स[illegible] किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:02:11 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी [illegible] मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर व प्रत्यर्थी अधिवक्ता /राजकीय अधिवक्ता की इस पर जवाबी बहस पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा

समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 8 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के समक्ष प्रस्तुत कर ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 96, 101, 107 114 की किस्म गै0मु0नदी/नाला की भूमि होने की प्रविष्ट राजस्व अभिलेख व रजिस्टर में दर्ज है तथा ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 92, 95, 102, 105 तथा खसरा नम्बर 98, 99, 110, 111 किस्म जाव बारानी 2 व 3 कृषि भूमि का अंकन है, मौके पर खसरा नम्बर 92, 95, व 102 की भूमि पर आबादी बसी हुई है व मण्डावरा के खसरा नम्बर 93, 94, 103, 106 किस्म रास्ता की भूमि के रूप में अंकित है। राजस्व अभिलेख एवं नक्शें में वर्णित प्रविष्टियां मौके की वास्तविक व भौतिक स्थिति से अव्यवहारिक एवं बेमेल परस्पर विरोधाभासी होने के कारण लिपिकीय त्रुटिवश अशुद्ध प्रविष्ट का अंकन है।

उनका यह भी तर्क है कि राजस्व अभिलेख के विपरीत खसरा नम्बर 96, 101, 107 व 114 गै.मु.नाला की भूमि को मौके की भौतिक स्थिति के विपरीत राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 98, 99, 110 व 111 की जगह शुद्ध अंकित करने एवं खसरा नम्बर 98, 99, 110, 111 को मौके पर कृषि योग्य भूमि के अनुरूप खसरा नम्बर 96, 101, 107 व 117 के स्थान पर शुद्ध प्रविष्टि अंकित किया जाना लोकनीति के अनुकूल है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 9–6–2016 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि गत भू–प्रबन्ध व वर्तमान भू–प्रबन्ध में राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां मौके अनुसार ही की गई थी। गत भू–प्रबन्ध में खसरा नम्बर 52 मिन जिसकी किस्म गै.मु.नाला दर्ज थी जिसके वर्तमान भू–प्रबन्ध में नये खसरा नम्बर 96, 101, 107, 114 बने है इनकी किस्म गै0मु0नाला ही दर्ज की गई है। इसमें किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि या अशुद्ध प्रविष्टि काअंकन नहीं हुआ है। प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की श्रेणी में नहीं आता है उक्त प्रकरण न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 2–8–2004 में भी इस किस्म की भूमियों में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों में कभी भी किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है जबकि उक्त भूमि की किस्म गै0मु0नाला दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी भूमि की किस्म बारानी व जाव को गै0मु0नाला राजकीय दर्ज करने व

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:02:11 IST
Reason: SelfAttested

गै0मु0नाला की किस्म बारानी परिवर्तित कर खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जो क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किये जाने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–1–2017 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के राजकीय अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम मण्डावरा के राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में वर्णित प्रविष्टियां मौके की वास्तविक व भौतिक स्थिति से अव्यवहारिक होने के कारण लिपिकीय त्रुटिवश प्रविष्टि का अंकन है। ग्राम मण्डावरा के राजस्व अधिकार अभिलेख व रजिस्टर में दर्ज वर्तमान खसरा नम्बर 96, 101, 107, 114 किस्म गै0मु0 नदी/नाला की भूमि होने की प्रविष्टि अंकित है और खसरा नम्बर 92, 95, 102, 105, तथा खसरा नम्बर 98, 99, 110 व 111 किस्म जाव, बारानी 2 व 3 कृषि भूमि का अंकन है, मौके पर खसरा नम्बर 92, 95 व 102 की भूमि पर आबादी बसी हुई है और खसरा नम्बर 93, 94, 103, 106 किस्म रास्ता की भूमि के रूप में अंकित है। लिपिकीय त्रुटिवश वर्तमान खसरा नम्बर 96, 101, 107, 114 राजस्व रेकार्ड व नक्शे में गै0मु0नदी नाला की भूमि होना अंकित है परन्तु राजस्व रेकार्ड व नक्शे के विपरीत मौके पर उक्त भूमिया काश्त प्रयोजनार्थ उच्च व समतल जाव व बारानी किस्म की कृषि भूमियां है तथा राजस्व अधिकार अभिलेख/रजिस्टर जमाबंदी आदि में खसरा नम्बर 98 रकबा 0.15 हैक्टर, किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.19 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.28 हैक्टर जाव 3, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.22 हैक्टर जाव 3 होने का अंकन किया है लेकिन उक्त भूमि की वास्तविक एवं व्यवहारिक भौतिक स्थिति मौके पर सीधी रेखा में उक्त भूमि 8–10 फिट गहरी नदी नाले की भूमि पर अंकित कर दिया गया है, यदि राजस्व नक्शे अनुसार खसरा नक्बर 96, 101, 107, 114 गै0मु0नाले की भूमि होती तो 60 वर्षो पुरानी आबादी इस भूमि में बसावट करना संभव नहीं होता, ना ही काश्त करना संभव होता। ग्राम मण्डावरा के काबिज खातेदार अभिधारीगण खसरा नम्बर 108 गै0मु0कुआं के माध्यम से खेती बाडी करते रहे है। खसरा नम्बर 96, 101, 107 व 114 में वर्णित भूमि मौके पर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ग्राम मण्डावरा की आबादी प्रयोजन के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ तथा कृषि कार्यो के लिए प्रार्थीगण की खातेदार काश्तकारों द्वारा उपयोग उपभोग में आ रही है। उक्त राजस्व नक्शे में जो खसरा नम्बर 96 अंकित है उस पर मौके पर खसरा नम्बर 95 के खातेदार ध्रुव सिंह द्वारा बेचान करने के कारण मौके पर छीतर पुत्र जोधाराम बलाई, स्व0 नाथूराम मेघवाल वगैरह, नारायण राम पुत्र गोपीराम देवाराम पुत्र नन्दाराम मेघवाल वगैरह के परिवार बसेहुए है। खसरा नम्बर 101, 99, 100, [illegible] 104, 197 के खातेदार प्रतापराम छीगनाराम, गजेन्द्र पुत्र [illegible] के [illegible] वक्त जागीर से ही आवास बनाकर रह रहे है। खसरा नम्बर 107, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 116 व 117 की खातेदार प्रार्थीया वगैरा की खेती व मकानात है। खसरा नम्बर 114 पर खसरा नम्बर 113 बारानी व 115 आबादी भूमि के खातेदार मोहनलाल पुत्र दूलाराम काबिज है और रहवास एवं कृषि प्रयोजन हेतु राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:02:11 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के बाद प्रत्यर्थीगण व उनके वारिसान प्रतिनिधि आदि उक्त आराजियात पर निरन्तर काश्त कर उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। वर्तमान खसरा नम्बर 96, 101, 107 114 मौके पर भौतिक रूप से ऊंची भूमियां है इसी कारण बरसात के समय में पानी का कभी बहाव नहीं होने के कारण 1947 से पूर्व में एवं बाद में कभी नाले की भूमि के रूप में उपयोग में नहीं आयी है।

उनका यह भी तर्क है कि भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने जमाबंदी में वर्णित आराजी खसरा 96, 101, 107, 114 किस्म गै0मु0नाला की भूमि को मौके पर भैतिक किस्म अनुरूप नाला की तरह सीधी रेखा के रूप में करीब 8 फिट तक गहराई की भूमि राजस्व नक्शे में अंकित कर वर्तमान खसरा नम्बर 91 से लगते हुए खसरा नम्बर 98, 99, 110, 111 की भूमि पर अंकन किया जाना था लेकिन लिपिकीय त्रुटिवश अधिकार अभिलेख में इसकी प्रविष्टि मौके पर नाले की किस्म से विपरीत मौके पर करीब ऊंचाई 8 फिट समतल किस्म काश्त प्रयोजन होने राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी में वर्णित अंकन के विपरीत लिपिकीय त्रंटिवश अशुद्ध प्रविष्टि का अंकन हो गया अर्थात जो भूमि जमाबंदी अनुसार जाव बारानी किस्म की है वह राजस्व नक्शे में लिपिकीय त्रुटिवश नाले की भूमि के रूप में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित कर दी गई और जो भूमि जमाबंदी में नाले की किस्म की भूमि है उसे लिपिकीय त्रुटिवश राजस्व नक्शे में अशुद्धि के कारण जाव व बारानी भूमि अंकित कर दी अर्थात ग्राम मण्डावरा के वर्तमान खसरा नम्बर 96, 101, 107, 114, राजस्व नक्शे में लिपिकीय भूलवश गैर मुमकिन नाले की तरफ गलत व अशुद्ध प्रविष्टि का अंकन कर दिया गया है। उक्त खसरा के संबंध में भौतिक स्थिति के विपरीत विरोधाभासी व अशुद्ध अंकन राजस्व अधिकार अभिलेख में दर्ज अंकन से सर्वथा विपरीत है। उक्त खसरा नम्बर 117 रकबा 0.15 हैक्टर किस्म बारानी 2 प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में अंकित है लेकिन करीब 700 मीटर भूमि रास्ते के प्रयोजन में आ रही है। इसलिए परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी संख्या 1 के आधिपत्य में कम रकबा 0.5 हैक्टर भूमि कब्जे में है, राजस्व नक्शें में वर्णित खसरा नम्बर 98 के रूप में अंकित भूमि के मौके पर नाला बना हुआ है, जो राजस्व नक्शे में अंकित खसरा नम्बर 96 की मौके पर बारानी जमीन को 300 मीटर ओवरलेप करता है। उक्तानुसार अपीलार्थीगण के कब्जे व रेकार्ड में भूमि मौके पर कम है। फलतः प्रविष्टियों में शुद्धि करने से अपीलार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की भूमि का रकबा बढता नहीं है। भू–अभिलेख अधिकारी किसी भी समय अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकता है। उक्त अशुद्ध त्रुटियों को विहित रीति से शुद्ध करवाकर ग्रामीण कृषकों के हितों के अनुकूल कार्यवाही किया जाना न्यायहित में जरूरी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी ने ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 96 रकबा 0.1[illegible] हैक्टर गै0मु0नाला, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.30 हैक्टर गै0मु0नाला, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.57 हैक्टर गै0मु0नाला, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.07 हैक्टर गै0मु0नाला की अशुद्ध किस्म को बारानी द्वितीय शुद्ध किये जाने तथा खसरा नम्बर 98 रकबा 0.15 हैक्टर बारानी , खसरा नम्बर 99 रकबा 0.19 हैक्टर बारानी, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:02:11 IST
Reason: SelfAttested

28 हैक्टर जाव, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.22 जाव की अशुद्ध किस्म को गै0मु0नाला शुद्ध किये जाने तथा इसी अनुसार खातदेारान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही का क्षैत्र बहुत सीमित है जिसमें लिपीकीय त्रुटि जो देखने मात्र से स्पष्ट होती हो जिसे दोनों पक्ष की सहमति से ही दुरूस्त किया जा सकता है जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त आदेश द्वारा राजस्व रेकार्ड में खातेदारी संबंधी अंकन को परिवर्तित कर नक्शे में तरमीम करने जैसे आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत नहीं है। उक्त प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की श्रेणी में नहीं आता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां मौके अनुसार ही की गई थी। गत भू–प्रबन्ध में खसरा नम्बर 52 मिन जिसकी किस्म गै0मु0नाला दर्ज थी जिसके वर्तमान भू–प्रबन्ध में नये खसरा नम्बर 96, 101, 107 114 बने है इनकी किस्म गै0मु0नाला ही दर्ज की गई है इसमें किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि या अशुद्ध प्रविष्टि का अंकन नहीं हुआ है जो जमाबंदी सम्वत 2069–2072 से स्पष्ट है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों में कभी भी किसी को भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है जबकि उक्त भूमि की किस्म गै0मु0नाला दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी भूमि की किस्म बारानी व जाव को गै0मु0नाला राजकीय दर्ज करने व गै0मु0नाला की किस्म को बारानी परिवर्तित कर खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये है जो क्षैत्राधिकारविहीन होने से विधिसम्मत प्रतीत नहीं होते है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा आवंटन/नियमन किये जाने वाली भूमियों की किस्म परिवर्तन हेतु समय–समय पर दिशा निर्देश परिपत्रों के माध्यम से जारी किये जाते है जिसके अनुसरण में राजस्व अधिकारी द्वारा पालना सुनिश्चित की जानी होती है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–1–2017 विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–01–2017 विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:02:11 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर